भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं. **4985**
23.03.2026 को उत्तर के लए

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग की गई धनरा श

**4985.** श्री बलराम नाइक पोरिकाः

क्या पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई नि धयों का ब्यौरा क्या है और वगत तीन वर्षों के दौरान 131 गैर-प्राप्ति वाले शहरों में पीएम 2.5 के स्तर में कतने प्रतिशत की कमी आई है;

(ख) वा र्षक लक्ष्यों को पूरा करने वाले शहरों की संख्या कतनी है और शहर- व शष्ट कार्य योजनाओं की स्थिति क्या है;

(ग) प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्रा धकरण (सीएएमपीए) के अंतर्गत वनीकरण में कतनी प्रगति हुई है और इसमें शा मल क्षेत्र और वृक्षारोपण की जी वत रहने की दर क्या है; और

(घ) पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (एनडीसी) लक्ष्यों को पूरा करने के लए क्या कदम उठाए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वत्त की क्या स्थिति प्राप्त हुई है?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन संह)

(क) और (ख): राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 'प्रदूषण नियंत्रण' योजना के तहत 82 शहरों को वत्तपो षत कया जाता है और शेष दस लाख से अ धक आबादी वाले 48 शहरों/शहरी समूहों को 15वें वत्तीय आयोग के वायु गुणवत्ता अनुदान के तहत वत्तपो षत कया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सुधार संबंधी उपायों को कार्यान्वित करने के लए 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 130 शहरों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और महत्वपूर्ण अंतर वत्तपोषण के रूप में वत्त वर्ष 2019-20 से अब तक 14,029.23 करोड़ रुपए की रा श प्रदान की गई है। शहरों ने प्राण पोर्टल पर 10,611.52 करोड़ रुपये (75.6%) के उपयोग की सूचना दी है।

स्वच्छ वायु गुणवत्ता कार्यक्रम के अंतर्गत शहर व शष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और सभी 130 मानकों को न प्राप्त करने वाले/दस लाख से अ धक आबादी वाले शहरों में इनका कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। ये कार्य योजनाएँ मट्टी और सड़क में होने वाली धूल, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, अप शष्ट और जला हुआ जैव ईंधन, निर्माण और वध्वंसकारी गति व धयां तथा उद्योग जैसे वायु प्रदूषण के व शष्ट स्रोतों को ल क्षत करती हैं ।

स्वच्छ वायु गुणवत्ता कार्यक्रम के तहत 130 शहरों द्वारा केंद्रित और समन्वित कार्यों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिनमें 103 शहरों में 2017-18 की तुलना में 2024-25 में पीएम10 सांद्रता में कमी देखी गई है। 64 शहरों में आधार वर्ष 2017-18 की तुलना में पीएम10 स्तरों में 20% से अ धक की कमी दर्ज की गई है और इनमें से 25 शहरों में 40% से अ धक की कमी दर्ज की है। कुल 22 शहरों ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा कया है और उनमें पीएम10 सांद्रता 60 $\mu g/m^3$ से कम है।

पीएम 2.5, जो पीएम 10 का ही एक उपवर्ग है, का निवारण व्यापक वनियामक ढांचे और कार्यान्वयन कार्यनीति के माध्यम से एनसीएपी के अंतर्गत ही कया जाता है जिसका उद्देश्य समग्र व वक्त कण के स्तर को कम करना है। एनसीएपी के तहत कवर कए गए 130 शहरों में से, 40 शहरों ने वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2024 में PM 2.5 स्तरों में कमी दिखाई है; 56 शहरों ने वर्ष 2024 में 40 $\mu g/m^3$ के पी एम 2.5 वा र्षक मानक के लए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा कया है।

(ग): राष्ट्रीय हरित भारत मशन (जीआईएम), जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत उल्लि खत नौ मशनों में से एक है। इसका उद्देश्य भारत के वन आवरण की रक्षा करना, उसे बहाल करना और बढ़ाना है तथा वन और वनेतर क्षेत्रों में पारिस्थितिकी बहाली/वृक्षारोपण गति व धयों को शुरू करके जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना है। जीआईएम गति व धयां वत्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गईं थीं। अब तक, 1,71,345 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण / पारिस्थितिकी बहाली के लए सत्रह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को 1019.27 करोड़ रुपये की रा श स्वीकृत / आवंटित / जारी की गई है।

प्रतिकरात्मक वनीकरण नि ध (सीएएफ) अ धनियम, 2016 और इसके नियम, 2018 का उद्देश्य गैर-वन उद्देश्यों के लए वन भू म के उपयोग में बदलाव के कारण वन आवरण और संबं धत पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को होने वाले नुकसान को कम करना है। यह प्रतिपूरक वनीकरण, खराब हो चुके वनों की बहाली, वन्यजीव पर्यावासों में वृद् ध और जैव व वधता को समृद्ध करने जैसी गति व धयों के माध्यम से प्राप्त कया जाता है।

प्रतिपूरक वनीकरण नि ध प्रबंधन और योजना प्रा धकरण (काम्पा) की नि ध का उपयोग वनों, वन्यजीवों और पारिस्थितिक सेवाओं में सुधार और संवर्धन से संबं धत वनों की बेहतरी के लए व भन्न गति व धयों को करने के लए कया जाता है, जिसमें कृत्रिम पुनर्जनन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का संरक्षण, वन संबंधी अवसंरचना का वकास, हरित भारत कार्यक्रम, वन्यजीव संरक्षण और वन एवं वन्यजीव प्रबंधन से संबं धत अन्य सहायक गति व धयां शा मल हैं। राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के काम्पा प्रा धकरण हर वर्ष अनुमोदनार्थ राष्ट्रीय काम्पा को वा र्षक संचालन योजना (एपीओ) प्रस्तुत करते हैं। वत्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान, 84,067.88 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) कार्य कया गया है। वनीकरण गति व धयों की उत्तरजी वता दर का आकलन संबं धत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के वन वभागों द्वारा कया जाता है।

(घ): भारत सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसने भारत के 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (एनडीसी) को पूरा करने के लए कई उपाय कए हैं जो सबसे पहले वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के समक्ष प्रस्तुत कया गया था और बाद में वर्ष 2022 में अद्यतन कया गया था।

इन उपायों में अनुकूलन और शमन - दोनों ही मोर्चों पर भारत की कार्रवाई को व्यापक बनाने के लए समय-समय पर शुरू की गई व भन्न नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम शा मल हैं।

स्वच्छ ऊर्जा, वशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, कम कार्बन गहन और अनुकू लत शहरी केंद्रों के वकास, वेस्ट टू वेल्थ को बढ़ावा देने, सुर क्षत, स्मार्ट और संधारणीय हरित परिवहन नेटवर्क बनाने, संव र्धत वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से कार्बन संक बनाने, कृ ष, जल संसाधन, तटीय क्षेत्र, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन में जलवायु अनुकूलन के लए समु चत उपाय कए जा रहे हैं। भारत के जलवायु संबंधी कार्यकलापों में नागरिकों का योगदान भी शा मल होता है जिसमें " मशन लाइफ" (पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली) के अंतर्गत की गए कार्यकलाप और एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहल शा मल हैं।

सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) कार्यान्वित कर रही है, जो जलवायु संबंधी कार्यकलापों के लए एक व्यापक ढांचा है। एनएपीसीसी में सौर ऊर्जा, उन्नत ऊर्जा दक्षता, जल, कृ ष, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय आवास, हरित भारत, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर कार्यनीतिक ज्ञान जैसे व शष्ट क्षेत्रों में नौ राष्ट्रीय मशन शा मल हैं। सरकार एनएपीसीसी में उल्लि खत कार्यनीति के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर अपनी-अपनी राज्य कार्य योजनाओं (एसएपीसीसी) की तैयारी के लए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता भी कर रही है। एनएपीसीसी के उद्देश्यों को पूरा करने के लए, 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी-अपनी एसएपीसीसी तैयार कर ली है ता क वे अपने राज्यों की व शष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कदम उठा सकें।

इसके परिणामस्वरूप, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 और 2020 के बीच 36 प्रतिशत की कमी आई है। भारत ने 2030 की प्रतिबद्ध समय सीमा से पांच साल पहले गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी स्था पत वद्युत ऊर्जा क्षमता का 50% एनडीसी लक्ष्य प्राप्त करके अपने ऊर्जा परिवर्तन में एक प्रमुख लक्ष्य प्राप्त कया है। आधार वर्ष 2005 की तुलना में, भारत ने 2030 तक 2.5 से 3.0 बि लयन टन के लक्ष्य के मुकाबले पहले ही 2.29 बि लयन टन अतिरिक्त कार्बन संक प्राप्त कर लया है।

भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाई का वत्तपोषण मुख्य रूप से संबं धत मंत्रालयों / वभागों के बजटीय आवंटन द्वारा कया जाता है, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के संबं धत नौ मशनों को संस्थागत रूप प्रदान कया है।

देश के भीतर जलवायु संबंधी कार्रवाई के वत्तपोषण के लए हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) और अनुकूलन कोष (एएफ) जैसे बहुपक्षीय कोष पर भी वचार कया जा रहा है। अब तक, जीसीएफ द्वारा भारत को कुल 1.1 बि लयन अमेरिकी डॉलर के आवंटन के साथ जल, स्वच्छ ऊर्जा, तटीय क्षेत्र, आजी वका, परिवहन, मध्यम और लघु उद्यमों तथा जलवायु स्टार्ट-अप्स सहित अन्य क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूलन के लए सोलह (16) परियोजनाओं / कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है। देश ने अनुकूलन कोष से भी संसाधन प्राप्त की हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 16.86 म लयन अमरीकी डॉलर थी जिसमें खाद्य सुरक्षा, वन, कृ ष, जल प्रबंधन और तटीय प्रबंधन को कवर करने कया गया था।

****